न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 59/2015

वादीः—

श्री ओगड़राम पुत्र श्री लुम्बाराम जाति घांची निवासी घांचीयों का बास, सुरजपोल, पाली

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. श्री पृथ्वीसिंह पुत्र श्री देवीसिंह
2. श्री नरेन्द्र कुमारी पुत्री श्री देवीसिंह
3. श्री विनोद कुमारी पुत्री श्री देवीसिंह
4. प्रतिभा कुमारी पुत्री श्री देवीसिंह
5. सवित्री कुमारी बेवा श्री विजेन्द्र सिंह
6. श्री दिग्विजयसिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह
7. श्री हर्ष वर्धन सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह
8. संगीता कुमारी पुत्री विजेन्द्र सिंह
9. हेमांगनी कुमारी पुत्री विजेन्द्र सिंह तमाम अकवाम राजपुत निवासी आसोप जिला जोधपुर तहसील भोपालगढ़
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी पाली

उपस्थितिः—

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री चंद्र प्रकाश व्यास, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,91,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:आदेशः—

दिनांक 26—02—2019

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मौजा डेण्डा तहसील पाली में खसरा संख्या 728 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 844 रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 858 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 1189 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 1191 रकबा 06 बिस्वा, 1193 रकबा 07 बिस्वा, 1194 रकबा 01 बिस्वा, 1195 रकबा 02 बिस्वा, 1197 रकबा 01 बिस्वा, 1198/6 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 1240 रकबा 08 बिस्वा कुल खसरा 11 कुल रकबा 57 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। जिसकी किस्म जमाबंदी में दर्ज है। इस कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार देवीसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपुत की दर्ज है व श्री देवीसिंह इसके तन्हा मालिक थे व इनका कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग रहा है। जिनका देहान्त हो चुका है। देवीसिंह जी द्वारा अपने इस जीवनकाल में ही इस कृषि भूमि को प्रतिफल की रकम प्राप्त कर कब्जा वादी को दिनांक 16—08—2007 को सुपुर्द कर दिया था। तब से उक्त खसरान की कृषि भूमि पर वादी का कब्जा व उपयोग व उपभोग है। इस कृषि भूमि को आगे वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया जायेगा। इस कृषि भूमि में से खसरा संख्या 1198/6, 1189 की कृषि भूमि को वादी द्वारा रजिस्टर्ड बैचान से बैचान किया जा चुका है। प्रतिवादीगण के पुर्वज श्री देवीसिंह द्वारा दिनांक 16—08—2007 को रूपये 6,35,800 रू0 रोकड़ प्राप्त कर वादी के पक्ष में बेचान की लिखा पढ़ी की थी, व कब्जा मौके पर वादी को सुपुर्द कर दिया था, दिनांक 16—08—2007 से वादी वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज है, व उपयोग उपभोग कर रहा है। कब्जे के लिए दस्तावेज बेचान इकरारनामा वाद के साथ पेश है। जो एक सहायक दस्तावेज है। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि का वर्तमान में स्वामी है। वादी के हक हकुक है। वादी खातेदार काश्तकार है, इस सम्बन्ध में वादी के पक्ष में श्री देवीसिंह द्वारा तहरीर व तकमील की गई, वसीयत है। इस

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

वसीयत के आधार पर वादी वादग्रस्त कृषि भुमि का खातेदार हो चुका है। परन्तु वादी का नाम रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। श्री देवीसिंह जी द्वारा दिनांक 13–08–2007 को वसीयत टाईप करवाई व दिनांक 16–08–2007 को नोटेरी पब्लिक जेठमल शेन के यहां नोटेराइज करवाई, व अपने हस्ताक्षर कर वसीयत निष्पादित की व इसमें वसीयत किये जाने के संबन्ध में दो साखे भी डलवाई। इस तरीके से वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा है व वादी खातेदार हो चुका है। बेचान इकरारनामा भी दिनांक 16–08–2007 को नोटेराइज करवाया व दिनांक 13–08–2007 को लिखाई। वादी के पक्ष में श्री देवीसिंह जी द्वारा कृषि भुमि की वसीयत की थी, व वसीयत प्रभाव में है। वसीयत निरस्त सुदा नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण जो देवीसिंह के पुत्र, पुत्रीया, पौत्र, पौत्रीय व पुत्र वधु है। इनके द्वारा वादग्रस्त कृषि भुमि में जो वादी के हक हकुक व कब्जे की है इसमें अपने नाम से दिनांक 05–02–2014 को नामान्तरण संख्या 3168 के जरिये अपना नाम जमाबंदी में दर्ज करवा दिया, जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 27–11–2014 को हुई। जब वादी हल्का पटवारी के पास गया, व जमाबंदी की नकल हेतु निवेदन किया। उक्त नकल 27–11–2014 को प्राप्त हुई। वादी को जानकारी होने पर उक्त वाद घोषणा व दुरूस्ती हेतु पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी के हक हकुक है। कब्जा है। उपयोग उपभोग है। परन्तु दुर्भावना पुर्वक प्रतिवादीगण द्वारा हल्का पटवारी से मिलकर अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादीगण के अधिकार नहीं है। नहीं कब्जा है। उक्त कृषि भूमि श्री देवीसिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही जरिये वसीयत के हस्तान्तरण कर दी थी, व कब्जा भी प्रतिफल की रकम प्राप्त कर वादी को सुपुर्द कर दिया था। इस कारण से खातेदारी अधिकार वादी को प्राप्त हो चुके है। परन्तु रेवेन्यु रेकर्ड में वादी का नाम नहीं होने के कारण नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादीगण ने अपना नाम दर्ज करवा दिया, उक्त म्युटेशन वादी के विरूद्ध शुन्य है। व वादी के विरूद्ध बेअसर है। जिसे शुन्य घोषित कर वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे, वादी का नाम दर्ज किया जावे रेकर्ड दुरूस्त कर प्रतिवादी का नाम हटाया जावे। वादी के पक्ष में कब्जे का संरक्षण का आदेश फरमाया जावे, व हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवादीगण का नाम दर्ज करने से पुर्व कब्जे की जांच नहीं की। इस कारण म्युटेशन शुन्य है। दिनांक 25–11–2015 को अजनबी व्यक्ति ने वादी को खेत में आकर यह धमकी दी कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम की है। जिसको हम खरीदने वाले है व मौका देखने आये है। आप इस जमीन से चले जाये अन्यथा बेचान पंजीयन करवाने के बाद हम आपको बाहर का रास्ता दिखा देगें व अतिक्रमण कर लेगें। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी के हक हकुक है। प्रतिवादीगण कब्जे में नहीं है। प्रतिवादीगण अन्य व्यक्तियों साथ मिलकर वादी को बेदखल करना चाहते है। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मौके की स्थिति में परिवर्तन व परिवर्धन करने का भी अधिकार नहीं है। वादी का लगातार शांति पुर्वक बिना रोक टोक के कब्जे चला आ रहा है। यदि वादी को कब्जे से बेदखल कर दिया, उपयोग, उपभोग से वंचित कर दिया तो वादी को अकथनीय हानि होगी। वादग्रस्त कृषि भूमि के अधिकार जरिये वसीयत वादी में निहित हो चुके है। प्रथम दृष्ट्या मामला भी वादी के हक में है। इस कारण से प्रतिवादी को बेचान के जरिये व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण को रोकने हेतु वाद पेश है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि का बैचान द्वारा हस्तान्तरण नहीं करे व प्रतिवादी संख्या 10 बेचान के जरिये रेवेन्यु रेकर्ड में अजनबी का नाम दर्ज नहीं करे। इसके लिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी फरमाई जावे। वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार की निर्णय व डिक्री सादिर फरमाई जावे– ग्राम डेण्डा की खसरा संख्या 728, 844, 858, 1191, 1193, 1194, 1195, 1197, 1240 जो वाद पद संख्या 01 में दर्ज है। इसके खातेदारी अधिकार वादी को प्राप्त हो चुके है। इसके घोषणा की जावे व दुरूस्ती रेकर्ड कर वादी का नाम दर्ज किया जावे। दिनांक 05–02–2014 को म्युटेशन संख्या 3168 प्रतिवादीगण के नाम भरा गया है इसे शुन्यवत घोषित कर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे व वादी का दर्ज किया जावे। वाद पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादीगण आगे से आगे बैचान द्वारा व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे व तहसीलदार पाली रेवेन्यु रेकर्ड में बदलाव नहीं करें। इसके लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रतिवादीगण पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के खसरान की भुमि में वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, अजनबी व्यक्ति प्रवेश नहीं दे। मौके की स्थिति में परिर्वन व परिवर्धन नहीं करे। इसके लिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी फरमाई जावे। उक्त कृत्य प्रतिवादी के मिलने वाले नौकर, रिश्तेदार, सागड़ी इत्यादी नहीं करे। इसके लिए भी स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे, प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे। हर्जा खर्चा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे, अन्य कोई अनुतोष जो वादी के लिए लाभप्रद हो वह भी प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

3. प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 व 7 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1, 6 व 7 की पुश्तैनी भुमि है जिस पर आज भी प्रतिवादीगण के परिवार का ही कब्जा है। जिसमें जो पहले कृष्णा कुमारी जी (किशन कुमारी) के स्थान पर श्री देवीसिंह पुत्र फतेहसिंह जी के नाम दर्ज की गई है। उक्त भूमि कृष्णाकुमारी के नाम दर्ज थी तथा फोतेदगी म्यूटेशन के माध्यम से म्यूटेशन श्री देवीसिंह जी के नाम से भरा गया है तथा देवीसिंह जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम म्यूटेशन भरा गया जो नियमानुसार सही है। वादी द्वारा जिस दस्तावेज के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि को स्वयं के हक हकूक का बताया जा रहा है उक्त कथित वसीयत के प्रारंभ में "मैं बेचाण इकरारनामा लिख देता हूं कि मैं देवीसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत, साकिन डेंडा तहसील पाली बहक आप ओगड़राम...." पढने मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि इस इकरारनामा को फर्जी तरीके से वसीयत बनाई गई है। नियमानुसार वसीयत में दो गहवा होने आवश्यक है परन्तु इस कथित वसीयत में साख मात्र एक व्यक्ति हिरालाल भाटी पुत्र चतराराम घांची, निवासी 30 घांचियों का बास, पाली की डाली गई है, जो कि वादी का जाति बिरादरी का संबन्धी एवं पड़ौसी है तथा दूसरी साख खाली है इससे स्पष्ट है कि उक्त कथित वसीयत पूरी तरह से फर्जी है जबकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 68 सपठित धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत दो साक्ष्य द्वारा पुष्टि कराया जाना आवश्यक है। परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत में साक्ष्य के रूप में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज होने से साक्ष्य अधिनियम एवं उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वसीयत का कोई औचित्य नहीं रह जाता है एवं वादी के पड़ोसी एवं रिश्तेदार द्वारा पुष्टि की गई है जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं माना जा सकता है। इस भूमि पर आज भी प्रतिवादीगण का ही कब्जा है एवं म्यूटेशन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर इस वादग्रस्त भूमि पर अपना दावा किया जा रहा है। जबकि बगैर पर्याप्त साख के वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत का कानूनन अस्तित्व शून्य है। कथित इकरारनामा, वसीयत दिनांक 16 अगस्त, 2007 को निष्पादित करना बताया गया है तब से 15 फरवरी, 2014 तकरीबन 7 वर्ष तक वादी द्वारा इस संबन्ध में किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा फर्जी वसीयत के आधार पर म्यूटेशन भरवाना चाहता था जबकि हल्का पटवारी ने नियमानुसार म्यूटेशन संख्या 3168 भरा है। श्री देवीसिंह जी की मृत्यु दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 को हुई इसके पश्चात् भी गत 5 वर्षो तक भी वादी ने कोई कार्यवाही नहीं की, अपितु फर्जी वसीयत के आधार पर इस वादग्रस्त जमीन को हड़पना चाहता था। वादी फर्जी वसीयत बना कर भुमि हड़पना चाहता है। कानून की दृष्टि में वसीयत शून्य है। हल्का पटवारी डेंडा ने नियमानुसार म्यूटेशन संख्या 3168 दिनांक 5 फरवरी, 2014 भरा है। वादी ने गलत वाद प्रस्तुत किया है। वादी के पास म्यूटेशन के विरूद्ध अपील का अनुतोष प्राप्त है तथा जिस वसीयत का हवाला दिया जा रहा है वह शून्य है ऐसी स्थिति में बिना प्रोबेट के वसीयत का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए वादी का विवादित भूमि पर किसी भी तरह का हक नहीं है। मौके पर प्रतिवादी का कब्जा है तथा उसी आधार पर म्यूटेशन भरा गया है। साथ ही जिस कथित वसीयत का हवाला वादी द्वारा दिया गया है वह प्रभाव में कब आई इसकी जानकारी भी वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। दिनांक 25 नवम्बर, 2015 को एक अजनबी व्यक्ति ने आकर धमकी दी कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी के नाम की है। इससे ही स्पष्ट है कि दिनांक 25 नवंबर, 2015 दिनांक 6 माह से अधिक समय बाद में आने वाली है जहां तक उक्त भूमि का प्रश्न है वह प्रतिवादीगण के खातेदारी की है। इसलिये वादी द्वारा भूमि हड़पने की नियत से फर्जी वसीयत तैयार की गई है तथा झूठा वाद प्रस्तुत किया गया है। बिनायदावा 25 नवंबर, 2015 को होना बताया गया है जो तिथी 6 माह बाद आती है तथा 16 अगस्त, 2007 को वसीयत फर्जी वसीयत तैयार कर देने से किसी भी तरह का वादकरण पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी के नाम म्यूटेशन भरा गया है इसलिये म्यूटेशन के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है। घोषणा का वाद मेंटनेबल नहीं है साथ ही भूमि के प्रतिवादीगण के कब्जे में होने के बावजूद वादी को किस अधिकार के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं। जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

4. वाद में निम्न तनकियात कायम की गई:–

1. आया वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरान की कृषि भूमि पर जरिये वसीयत नोटेराईज निष्पादित दिनांक 16–08–2007 से वादी के हक–हकूक कब्जा है वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है– (वादी)

2. आया देवीसिंह द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व वादी से प्रतिफल की रकम प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द किया इसमें से वादी द्वारा खसरा संख्या 1198/6, 1189 की भूमि पंजीयन बेचाण निष्पादित कर हस्तांतरण की – (वादी)

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

3. आया देवीसिंहजी की मृत्यु के बाद वसीयतशुदा कृषि भूमि बाबत म्यूटेशन संख्या 3168 दिनांक 05–02–2014 को भरवाकर स्वीकृत करवाया जो शून्य है– (वादी)
4. आया जवाबदावा के पद संख्या 2 के अनुसार वसीयत दिनांक 16–08–2007 कानून सम्मत नहीं है तथा फर्जी वसीयत है वह शून्य है तथा बिना प्रोबेट के वसीयत का कोई औचित्य नहीं– (प्रति0)
5. आया वादी फर्जी वसीयत के आधार पर वादग्रस्त जमीन को हड़पना चाहता है– (प्रतिवादीगण)
6. आया वादग्रस्त खसरान की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा है तथा कानूनन वारिसों के नाम म्यूटेशन दर्ज किया गया है। वादी का वाद मेंटेनेबल नहीं है– (प्रतिवादीगण)

5. वाद में तनकियात कायम की जाकर पत्रावली वादी पक्ष की शहादत में रखी गई। वादी एवं प्रतिवादीगण ने दिनांक 14–02–2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर माफिक राजीनामा वाद में डिक्री जारी करने का निवेदन किया। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा में निवेदन किया कि खसरा संख्या 728 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 844 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 858 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 1189 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 1191 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 1193 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 1194 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 1195 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 1197 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 1198/6 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 1240 रकबा 8 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम डेन्डा में स्थित है। इस कृषि भूमि के खातेदार देवीसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपुत थे इनके द्वारा वादी से रूपये 6 लाख 35 हजार 8 सौ रूपये दिनांक 16–08–2007 को प्राप्त कर बेचाणनामा, वसीयतनामा व मुख्तियारनामा निष्पादित किया था। आम मुख्तियारनामा के आधार पर ओगड़राम द्वारा खसरा संख्या 1189 व 1198/6 जो भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाण कृषि भूमि बेचाण कर दी थी वह कब्जा भी खरीददार को सुपुर्द कर दिया। जिसके पंजीयन बेचाण दिनांक 15–12–2008 जो खसरा संख्या 1189 का है व खसरा संख्या 1198/6 का पंजियन बेचाणनामा दिनांक 16–12–2008 का है। इसके अलावा भी कृषि भूमि का वाद पेश किया गया है। वादी द्वारा खसरा संख्या 1198/1, 1198/2 व 1198/4 की कृषि भूमि भी बेचाण की है जो वादी ने खरीद की थी। देवीसिंहजी का देहान्त हो चुका है व प्रतिवादी संख्या 1 देवीसिंह का पुत्र है व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 देवीसिंह की पुत्रीयां है व देवीसिंह के पुत्र विजेन्द्रसिंह का देहान्त हो चुका है व प्रतिवादी संख्या 5 से 9 विजेन्द्रसिंह के वारीशान है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच में आपसी समझाईश से राजीनामा हो चुका है व राजीनामे के अनुसार खसरा संख्या 728, 844, 1191, 1193, 1194, 1195, 1197, 1240 वादी के खातेदारी की है व इनके कब्जे की है व इनके नाम खातेदारी में दर्ज करने से प्रतिवादीगण को ऐतराज नहीं है व खसरा संख्या 858 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा प्रतिवादीगण के खातेदारी की रहेगी व इसी सीमा तक भरा गया म्यूटेशन व जमाबंदी में नाम प्रतिवादीगण का रहेगा व अन्य खसरों में प्रतिवादीगण का नाम म्युटेशन संख्या 3168 दिनांक 5–2–2014 को स्वीकृत किया गया है इसे निरस्त कर वादी ओगड़राम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर ओगड़राम का नाम खातेदारी दी जाती है तो वादीगण सहमत है वादीगण के साथ प्रतिवादीगण का राजीनामा हो चुका है व वसीयत दिनांक 16–08–2007 के अनुसार ओगड़राम के हक हकुक है इसका हम राजीनामा करते है। राजीनामा तस्दीक कर उपरोक्त खसरों का निर्णय व डिकी की घोषणा को जरिये राजीनामा वादी के पक्ष में किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी ओगड़राम के पक्ष में प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 के अनुसार खसरा संख्या 728, 844, 1191, 1193, 1194, 1195, 1197 व 1240 को जरिये राजीनामा वादी के पक्ष में खातेदारी घोषणा की डिकी जारी फरमावे व वादी ओगड़राम का नाम दर्ज किया जावे। इसके लिए पक्षकारान की सहमति व स्वीकृति है। खसरा संख्या 858 प्रतिवादीगण के खातेदारी की रहेगी इसमें वादी को आपत्ति नहीं है। राजीनामा तस्दीक फरमावे।

6. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

7. पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर ग्राम डेण्डा की जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 के खाता संख्या 319 में खसरा नंबर 728, 844, 858, 1189, 1191, 1193, 1194, 1195, 1197, 1198, 1240 कुल खसरा 11 कुल रकबा 57.16 बीघा भूमि देवीसिंह पुत्र फतेसिंह कौम राजपूत सा0 देह की खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 351 में खसरा नंबर 728, 844, 858, 1191, 1193, 1194, 1195, 1197, 1240 कुल खसरा 09 कुल रकबा 14.16 बीघा भूमि देवीसिंह पुत्र फतेसिंह कौम राजपुत सा0 देह की खातेदारी दर्ज थी तथा जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 3168 दिनांक 05–02–2014 के द्वारा श्रीमती सावित्रि कुमारी पत्नी विजेन्द्रसिंह, दिग्विजयसिंह, हर्षवर्धनसिंह पि0 विजेन्द्रसिंह, संगीताकुमार, हेमांगनी कुमारी पुत्री विजेन्द्रसिंह हि0 1/5, पृथ्वीसिंह पुत्र देवीसिंह हि0 1/5, नरेन्द्र कुमारी, विनोदकुमारी, प्रतिमा कुमारी पुत्रीया देवीसिंह हि0 3/5 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज की गई। पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये रजिस्टर्ड विकय विलेख 15–12–2008 देवीसिंह पुत्र फतेहसिंह के आम मुख्तियार

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

ओगड़राम परिहारीया पुत्र लुम्बाराम जाति घांची द्वारा विनीत कुमार छाजेड़ पुत्र नेमीचंद छाजेड़ को खसरा नंबर 1189 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि तथा रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 15–12–2008 देवीसिंह पुत्र फतेहसिंह के आम मुख्तियार ओगड़राम परिहारीया पुत्र लुम्बाराम जाति घांची द्वारा सुश्री रूचिता पुत्री श्री धनराज कवाड़ के पक्ष में खसरा नंबर 1198/6 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचाण किया गया। नोटेरी से तस्दीकशुदा वसीयतनामा **(बेचाण इकरारनामा)** दिनांक 13–08–2007 तथा नोटेरी से तस्दीकशुदा बेचाण इकरारनामा दिनांक 13–08–2007 के अनुसार देवीसिंह पुत्र श्री फतेसिंह जाति राजपूत निवासी डेण्डा द्वारा ओगड़राम पुत्र लुम्बाराम जाति घांची के पक्ष में खसरा नंबर 728 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नंबर 844 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नंबर 858 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पाल, खसरा नंबर 1189 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 पाल, खसरा नंबर 1191 रकबा 6 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नंबर 1193 रकबा 7 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नंबर 1194 रकबा 1 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नंबर 1195 रकबा 2 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नंबर 1197 रकबा 1 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नंबर 1198/6 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा किस्म सेवज सोयम तथा खसरा नंबर 1240 रकबा 8 बिस्वा किस्म सेवज सोयम कुल 11 खसरा कुल 57 बीघा 16 बिस्वा संपूर्ण भूमि 6,35,800/– अक्षरे छः लाख पैंतीस हजार आठ सौ रूपये लेकर बेचाण करने का इकरारनामा निष्पादित करवाया गया। वसीयतनामा (बेचाण इकरारनामा) तथा इकरारनामा रजिस्टर्ड नहीं होने से इनके आधार पर संपति का हस्तान्तरण नहीं हो सकता। उभयपक्ष द्वारा दिनांक 14–02–2019 को प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार खातेदारी श्री देवीसिंह के वारिशान द्वारा खसरा नंबर 728, 844, 1191, 1193, 1194, 1195, 1197 व 1240 की भूमि वादी की खातेदारी एवं वादी के कब्जे की होना स्वीकार किया गया है एवं खसरा नंबर 858 की भूमि प्रतिवादीगण की होना वादी द्वारा स्वीकार किया गया तथा इसी अनुरूप डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया है। राजीनामा के अनुरूप वाद को डिक्री किये जाने पर राज्य सरकार को स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की हानि होती है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर डिक्री इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी द्वारा राजीनामा की तारीख 14–02–2019 को प्रचलित दर से स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने की शर्त के अधीन ग्राम डेण्डा में स्थित खसरा नंबर 728, 844, 1191, 1193, 1194, 1195, 1197 व 1240 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा खसरा नंबर 858 की खातेदारी प्रतिवादीगण की यथावत् कायम रहेगी। वादी द्वारा स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तहसीलदार, पाली को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी के नाम उक्त ग्राम डेण्डा में स्थित खसरा नंबर 728, 844, 1191, 1193, 1194, 1195, 1197 व 1240 की खातेदारी वादी के दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। इस निर्णय एवं डिक्री परचा की प्रति तहसीलदार, पाली एवं उप पंजीयक, पाली को माफिक डिक्री पालना करने हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 26–02–2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, बइजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या– राजस्व वाद संख्या 59 सन् 2015

अंतर्गत धारा 88,91,92ए,188 आर.टी.एक्ट,1955

वादीः–

श्री ओगड़राम पुत्र श्री लुम्बाराम जाति घांची निवासी घांचीयों का बास, सुरजपोल, पाली

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. श्री पृथ्वीसिंह पुत्र श्री देवीसिंह
2. श्री नरेन्द्र कुमारी पुत्री श्री देवीसिंह
3. श्री विनोद कुमारी पुत्री श्री देवीसिंह
4. प्रतिमा कुमारी पुत्री श्री देवीसिंह
5. सवित्री कुमारी बेवा श्री विजेन्द्र सिंह
6. श्री दिग्विजयसिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह
7. श्री हर्ष वरर्धन सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह
8. संगीता कुमारी पुत्री विजेन्द्र सिंह
9. हेमांगनी कुमारी पुत्री विजेन्द्र सिंह तमाम अकवाम राजपुत निवासी आसोप जिला जोधपुर तहसील भोपालगढ़
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी पाली

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मोहम्म्द शरीफ काजी, विद्धान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व बहाजरी श्री चंद्रप्रकाश व्यास, विद्धान अभिभाषक प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर डिक्री इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी द्वारा राजीनामा की तारीख 14–02–2019 को प्रचलित दर से स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने की शर्त के अधीन ग्राम डेण्डा में स्थित खसरा नंबर 728, 844, 1191, 1193, 1194, 1195, 1197 व 1240 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा खसरा नंबर 858 की खातेदारी प्रतिवादीगण की यथावत् कायम रहेगी। वादी द्वारा स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तहसीलदार, पाली को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी के नाम उक्त ग्राम डेण्डा में स्थित खसरा नंबर 728, 844, 1191, 1193, 1194, 1195, 1197 व 1240 की खातेदारी वादी के दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..... शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 02 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत............................

ओहदा सहायक कलेक्टर पाली (राज.)

मुहर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * पाली *

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner